

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 18/2020

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. मूलाराम पुत्र लालूराम जाति पालिवाल निवासी सिणली जागीर, तह. पचपदरा जिला बाड़मेर (मैसर्स एस पी किराणा स्टोर मूंगड़ा रोड, बालोतरा जिला बाड़मेर का मालिक)
2. पारसमल पालीवाल पुत्र गंगाराम निवासी उम्मेदपुरा, बालोतरा जिला बाड़मेर (मैसर्स श्री बालाजी ऐजन्सीज, मूंगड़ा रोड बालोतरा जिला बाड़मेर का मालिक)
3. अनिल कुमार जैन प्रोपराईटर मैसर्स अनिल ट्रेडिंग क. बस स्टेण्ड, बेलवा, बालेसर, जोधपुर
4. सुखाड़ीया भुपतभाई नारायण भाई, शॉप नं. 07 सत्यम शिवम सुन्दरम अपार्टमेंट, राजहंस टॉवर के पिछे, मुख्य रोड़ मोटा, वर्चा, सुरत प्रोपराईटर ऑफ श्री राधे डेयरी फार्म एण्ड फुड्स प्राईवेट लि. सरथना झकतनाका, वर्चा रोड़, सुरत।

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री सम्पतराज बोथरा, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 29.09.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स एस पी किराणा स्टोर मूंगड़ा रोड, बालोतरा जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 20.02.2019 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड वास्तु (500 एमएल), को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500-500 एमएल घी ब्राण्ड वास्तु (500 एमएल) की कुल 4 पैकेट वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1029 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड वास्तु (500 एमएल) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड वास्तु (500 एमएल) का नमूना अवमानक (Substandard) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपने प्रतिरक्षण में लिखित बहस पेश की। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सोयाबीन तेल में विटामीन ए नहीं होने के आधार पर परिवाद पेश किया गया है किन्तु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उपबंध ए 17.13 में सोयाबीन तेल का मानक स्टेण्डर्ड अभिनिर्धारित करते हुए अभिलिखित किया हुआ है जिसमें 40 प्रतिशत सेंटीग्रेड सी पर सोयाबीन तेल का परीक्षण करने पर निम्नानुसार मानदण्ड सही आने पर प्रयोग विशुद्ध होता है:-

Butyro-refractometer reading at 40° C	- 58.5 to 68.0
or	
Refractive Index at 40° C	- 1.4649 to 1.4710
Saponification value	- 189 to 195
Unsaponifiable matter	- Not more than 1.5 per cent
Acid value Phosphous	- Not more than 0.02 per cent



उपर्युक्तानुसार विधि की मंशा अनुसार सोयाबीन तेल **विटामिन ए** की उपस्थिति आवश्यक नहीं रखी गई है। इसलिए प्रथम दृष्टया अप्रार्थी के विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत होने से निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बताया कि धारा 190 CRPC के तहत प्रसंज्ञान के अधिकार मजिस्ट्रेट को प्रदान किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इस प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में प्रसंज्ञान नहीं लिया गया है जो एक गम्भीर अनियमितता एवं त्रुटि है इसलिए अभियुक्तगण को इसका लाभ दिया जाकर उन्हें अपराध से उनमोचित करना चाहिये। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह भी बताया कि विधि (धारा 207, 206, 262 से 265) के प्रावधान अनुसार हस्तगत प्रकरण संक्षिप्त विचारण का प्रकरण है। न्यायालय हाजा द्वारा इस प्रकरण में अप्रार्थी को न तो आरोप सुनाया है तथा न ही प्रतिरक्षा का अवसर दिया है। उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा संक्षिप्त विचारण की कोई भी प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने चाहिये।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 27.03.2019 में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया। अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बताया कि विटामिन ए का नहीं होना किसी प्रकार का अपराध नहीं है। अतः जो परिवाद प्रस्तुत किया गया है वह गलत होने से ड्रॉप फरमाया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से अपने व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, की गुणवत्ता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में सोयाबीन तेल में विटामिन ए का नहीं होना का जिक्र किया है जबकि प्रस्तुत वाद घी ब्राण्ड वास्तु से संबंधित है, जिसमें Butyro-refractometer reading at 40° C 40.00 to 43.00 के मुकाबले 43.64 पाया गया है जो कि अवमानक स्तर का है। अधिवक्ता




अप्रार्थी सं. 01 की ओर से पेश की गई लिखित बहस में हस्तगत परिवाद में उल्लेखित तथ्यों से संबंधित कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रकट नहीं किया गया है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 01 व 02 पर संयुक्त रूप से 50,000/- एवं अप्रार्थी सं. 03 व 04 पर संयुक्त रूप से 1,50,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर